**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2850**

**08 अगस्त, 2024 को उत्तरार्थ**

**आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण**

**2850. श्री केसिनेनी शिवनाथ:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के जनजातीय बस्तियों में विद्युतीकरण की जिला-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि की राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत राज्य मंत्री**
**(श्री श्रीपाद नाईक)**

**(क) :** भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) सहित अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वितरण यूटिलिटियों को सभी घरों को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद की है।

सौभाग्य के तहत, देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युतीकृत किया गया।

सौभाग्य अवधि के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों को विद्युतीकृत किया गया।

इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये का सकल बजटीय सहायता प्राप्त है। स्कीम के तहत अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। इसमें सौभाग्य के तहत छूट गए घरों का विद्युतीकरण और स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत सभी चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों का विद्युतीकरण शामिल है। इसके अलावा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नवीन सौर विद्युत स्कीम के तहत ऑफ-ग्रिड मोड पर घरों के विद्युतीकरण को संस्वीकृत किया जा रहा है।

अब तक, आंध्र प्रदेश राज्य/डिस्कॉम द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, 41,285 घरों के लिए विद्युतीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

(i) आरडीएसएस/पीएम जनमन के अंतर्गत ग्रिड विद्युतीकरण कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्र. सं. | जिलों के नाम | गैर-विद्युतीकृत घर | दिनांक 31.07.2024 तक विद्युतीकृत घर |
|---|---|---|---|
| 1. | श्रीकाकुलम | 833 | 833 |
| 2. | मन्यम | 3,895 | 3,729 |
| 3. | विजयनगरम | 3,934 | 3,522 |
| 4. | अल्लुरी सीताराम राजू | 28,453 | 24,056 |
| 5. | एलुरु | 1,443 | 1,443 |
| 6. | पूर्वी गोदावरी | 4 | 4 |
| 7. | प्रकाशम | 982 | 229 |
| 8. | पालनाडू | 772 | 322 |
| 9. | कुरनूल | 213 | 76 |
| | **कुल** | **40,529** | **34,214** |

(ii) पीएम जनमन के अंतर्गत ऑफ ग्रिड विद्युतीकरण कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्र. सं. | जिलों के नाम | गैर-विद्युतीकृत घर | दिनांक 31.07.2024 तक विद्युतीकृत घर |
|---|---|---|---|
| 1. | अल्लुरी सीताराम राजू | 559 | 0 |
| 2. | एलुरु | 197 | 0 |
| | **कुल** | **756** | **0** |

**(ख) :** आंध्र प्रदेश राज्य में घरों के विद्युतीकरण के लिए संस्वीकृत और जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

| **2019-23** | | | **2023-24** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **संस्वीकृत परियोजनाएं** | **भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये)** | **भारत सरकार द्वारा संवितरित निधि (करोड़ रुपये)** | **संस्वीकृत परियोजनाएं (करोड़ रुपये)** | **भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत अनुदान (करोड़ रुपये)** | **भारत सरकार द्वारा संवितरित निधि (करोड़ रुपये)** |
| 0 | 0 | 0 | 141.73 | 86.55 | 23.76 |

**(ग) :** आरडीएसएस के तहत संस्वीकृत कार्यों की निगरानी और समीक्षा मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर की जा रही है। प्रगति की निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी (पीएफसी) के साथ साप्ताहिक बैठक आयोजित की जाती है।

इसके अलावा, कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी के लिए आरडीएसएस के दिशानिर्देशों के तहत निम्नलिखित संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं:

i. संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति, और
ii. सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति।

*********